



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032021-225930
CG-DL-E-16032021-225930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1137]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942

No. 1137]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

वित्त मंत्रालय

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021

आय-कर

का.आ. 1225(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक 66/2014, तारीख 13 नवंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2907(अ), तारीख 13 नवंबर, 2014 का निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

अनुसूची

क्र.सं.	पदाभिधान	मुख्यालय	आय-कर प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
"10.	प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त, उत्तर पूर्व क्षेत्र	गुवाहाटी	आय-कर आयुक्त (अपील) (केंद्रीय), उत्तर पूर्व क्षेत्र, गुवाहाटी।"

3. यह अधिसूचना 24 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 17/ 2021 /फा.सं. 279/प्रकीर्ण/66/2014-एसओ(आईटीजे)(पीटी.)]

अंकुर गोयल, अवर सचिव (आईटीजे)

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2907(अ), तारीख 13 नवंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कार्यात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यमान पद के अपयोजन के प्रयोजनों के लिए, फा.सं. एचआरडी/187/3/2021-आईटीए-आई/8623, तारीख 24 फरवरी, 2021 में 2021 का कार्यालय आदेश सं. 7 जारी किया। इस संशोधन अधिसूचना के उक्त कार्यालय आदेश को 24 फरवरी, 2021 से ही भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। अतः, यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना से किसी हितबद्ध व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE (Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2021

INCOME-TAX

S.O. 1225(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) and sub-section (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Central Board of Direct Taxes, No.66/2014 dated 13th November, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide No. S.O. 2907(E), dated 13th November, 2014, namely:-

2. In the said notification, in the Schedule, for serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Sl No.	Designation	Headquarters	Income-tax Authorities
(1)	(2)	(3)	(4)
"10.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, North East Region	Guwahati	Commissioner of Income-tax (Appeal) (Central), North East Region, Guwahati."

3. This Notification shall be deemed to have come into force on **24th February, 2021.**

[Notification No. 17/ 2021/F. No. 279/Misc./66/2014-SO(ITJ)(Pt.)]

ANKUR GOYAL, Under Secy. (ITJ)

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O.2907 (E) dated the 13th November, 2014.

Explanatory Memorandum:

The Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, issued Office Order No.7 of 2021 in F.No. HRD/187/3/2021-ITA-I/8623 dated 24th February, 2021 for the purposes of diversion of existing post in the light of functional requirement. This amendment notification is being given retrospective from 24th day of February, 2021 in order to give effect to the said Officer Order. Therefore, it is certified that no person interest will adversely be affected by this notification.